राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर

(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर)

टेलीफैक्स नं. 0141–2222403, 2229314 ईमेल–dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक : PSKS/अभियान–21/डीएलबी/2021/01-07 दिनांक : 03/01/2022

समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय),
स्थानीय निकाय विभाग,
राजस्थान।

विषयः– 'प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021' के अन्तर्गत जिला स्तरीय कार्यशालाओं की तैयारियों के संबंध में।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2021–22 की बजट घोषणा की पालना में शहरी नागरिकों की कठिनाईयों के निवारण तथा समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु **"शहर–21"** के नाम से **"प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021"** का संचालन राज्य के समस्त नगरीय क्षेत्रों में किया जा रहा है।

"प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021" की प्रगति का जायजा लिये जाने हेतु दिनांक 01.01.2022 से दिनांक 18.01.2022 के मध्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यशालाओं के दौरान प्रत्येक नगरीय निकाय द्वारा अपनी प्रगति व समस्याओं के बाबत् एक प्रस्तुतीकरण (Presentation) किया जाना है। जिससे संबंधित बिन्दुओं की सूची पूर्व में आपको भिजवायी गई है, जो कि पुनः संलग्न है।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि अपने सभी अधीनस्थ नगरीय निकायों से सम्पर्क कर उन्हें समुचित तैयारी करने के लिए निर्देशित करें ताकि जिला स्तरीय कार्यशालाओं का संचालन समुचित ढंग से किया जाकर अभियान की प्रगति की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक : PSKS अभियान–21/डीएलबी/2021/08-259 दिनांक : 03/01/2022

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. निजी सचिव, सलाहकार महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
05. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
06. समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका, राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान की प्रगति व समस्याओं बाबत् संलग्न बिन्दुओं की सूची अनुसार प्रस्तुतीकरण (Presentation) तैयार कर उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।
07. संयुक्त निदेशक, आईटी अनुभाग, निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
08. रक्षित प्रति।

अतिरिक्त निदेशक